

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० १। / 2022

जनक सरदार वगैरह

बनाम

माला देवी वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

16-07-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे ओ.पी.) के अप्राथमिकी संख्या-07/22 दिनांक 23/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रास्ता पार आने-जाने को लेकर विवाद को लेकर विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उसरो/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 06-08-2022 को उपस्थापित करें।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

प्रथम पक्ष क्रम सं०- 01, 04 हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं० 01, 02 हाजरी एवं अन्य तार्बद हाजरी। अधिवक्तागण न्यायिक कार्यों से दूर (हड़ताल पर)। दिनांक 20-01-2023 को रखें।

20-01-2023

प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०- 01, 05 हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। पीठासीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 27-01-2023 को रखें।

ह०-

27-01-2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०- 01, 05 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। दिनांक 10-02-2023 को प्रथम पक्ष गवाही रखें।

ह०-


27/01/23
कार्य० दण्डा०
कुण्डू।

10-02-2023

प्रथम पक्ष क्रम सं०- 01, 04 हाजरी, एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०- 01, 05 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। पीठासीन दण्डाधिकारी अवकाश पर। दिनांक 17-02-2023 को रखें।

ह०-

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रम सं०- 01 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। इस वाद में वैधानिक समय सीमा दूर (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है। अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः इस वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए अभिलेख की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

